

B/1166-I/14 प्रमाण

25-5-15

अज्ञात अतिथि का  
पुस्तक में प्रमाण उपलब्ध  
है। अज्ञात अतिथि का  
सम्बन्धी पत्र तब तक है।

दिनांक 1-9-15

अज्ञात  
अ

1-9-  
अ

1-9-15

अज्ञात अतिथि का प्रमाण  
उपरोक्त पुस्तक में नहीं। समस्त-समस्त  
पत्र तब तक अज्ञात अतिथि का  
केवल अज्ञात अतिथि का ही प्रमाण  
है। अज्ञात अतिथि का प्रमाण  
अज्ञात अतिथि का ही अज्ञात अतिथि का  
प्रमाण है। अज्ञात अतिथि का प्रमाण  
है। अज्ञात अतिथि का प्रमाण है।

अ  
8182

अ  
अ



**न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर**

प्रकरण क्रमांक

/निगरानी/2014 श्योपुर

R-1166-I/114

1. अनुपम पुत्र प्रेमनारायण वैश्य
2. अजय मित्तल पुत्र प्रेमनारायण वैश्य  
निवासी-बोहरा बाजार, श्योपुर (म.प्र.)  
..... निगरानीकर्तागण

बनाम

1. राधे पुत्र सुखदेव जाटव, निवासी-माकडौद
2. सुभाष पुत्र साईदास औढ
3. नरेश पुत्र साईदास औढ ग्राम क्यारपुरा,  
ग्राम पंचायत काशी, पो.ऑ.-मानपुर
4. श्रीमती विन्तोष पत्नी हरिशचन्द्र मीणा  
ग्राम-सौटवा, श्योपुर
5. रामाबाई पुत्री गंगासिंह जाटव, निवासी-  
मानपुर श्योपुर
6. मुरारी पुत्र लालू जाटव, ग्राम बजीराबाद,  
जिला-टोंक राजस्थान,
7. सत्यनारायण
8. काडू
9. रामसिंह पुत्रगण प्रहलाद जाटव ग्राम-  
माकडौदा, श्योपुर
10. कालीदास
11. साईदास
12. बल्देव सिंह पुत्रगण नंदलाल औढ  
निवासी-ग्राम काशीपुर, पो-मानपुर,  
श्योपुर
13. जुगराज
14. मथुरा पुत्र घासी जाटव, निवासी-ग्राम  
माकडौद, जिला श्योपुर

..... अनावेदकगण

निगरानी आवेदनपत्र धारा 50 म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959  
विरुद्ध आदेश अपर कलेक्टर श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 24/  
2011-12 निगरानी राधे बनाम अनुपम आदि आदेश दिनांक  
12.02.2014 को पारित।

श्रीमान् जी,

निगरानी के आधार निम्न प्रकार पेश है।

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान एवं क्षेत्राधिकार  
बाह्य होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

श्री. कुंवर सिंह कुशवाह अभिभाषक  
द्वारा आज दि. 07/04/2014 को  
प्रस्तुत

श्री. कुंवर सिंह कुशवाह  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

श्री. कुंवर सिंह कुशवाह  
07-04-2014  
(223वोकेट)